



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार 17 अगस्त, 2020

श्रावण 26, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-2

संख्या 1733 ई-2-तेरह-2020-72-2006

लखनऊ, 17 अगस्त, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-55

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 30 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निदेश देती हैं कि दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बियर पर प्रतिफल शुल्क निम्नवत् वसूल किया जाएगा :-

माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बियर पर प्रतिफल शुल्क-रु० 60 प्रति बल्क लीटर।

आज्ञा से,

संजय आर० भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1733 E-2-XIII-2020-72-2006, dated August 17, 2020 for general information.

No. 1733 E-2-XIII-2020-72-2006

Dated Lucknow, August 17, 2020

IN exercise of the powers under section 30 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), the Governor is pleased to direct that from April 1, 2020, Consideration fee shall be realized on the Beer produced by micro brewery as follows:-

Consideration fee on Beer produced by micro brewery- Rs. 60 per bulk litre.

By order,
SANJAY R. BHOOSREDDY,
Apar Mukhya Sachiv.